कार्यालय केंद्रीय पुस्तकालय, म.ल.बा. मेडिकल कॉलेज, झाँसी।

दिनांक: 06/02/2026

पत्रांक सं: / के. पुस्त./पुस्तक/कुटेशन/2025-26

विज्ञप्ति

महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी के केंद्रीय पुस्तकालय / विभागों हेतु विभिन्न विषयो कि पुस्तक एवं जर्नल के क्रय हेतु शासन से बजट प्राप्त हुआ है, इस धनराशी से पुस्तक का क्रय किया जाना प्रस्तावित है | इच्छुक प्रकाशक/आपूर्तिकर्ता फर्म जो निम्नलिखित शर्तो पूरी करते है, से सील बन्द लिफाफे मे दिनांक 23/02/2026 को दोपहर 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यलय मे दिए गये प्रारूप पर कुटेशन आमन्त्रित किये जाते है | आपूर्तिकर्ता फर्म अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे वांछित **सभी लेखो एवं सीलबंद लिफाफे मे देशी एवं विदेशी पुस्तकों पर एक सामान डिस्काउंट (30% से कम नहीं होना चाहिए) सहित अपने प्रस्ताव उपलब्ध कराये | तकनीकी (Technical) एवं भावपक्ष (Finanical) के लिए अलग अलग लिफाफे भेजे | जो फर्म तकनीकी आर्हता पूर्ण करेगा, उसी फर्म का भावपक्ष खोला जायेगा |** पुस्तक आपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्ता / फर्म चयन के लिए मानदंड और शर्तों का विवरण तथा कुटेशन कॉलेज की वेबसाइट (http://www.mlbmcj.in) पर उपलब्ध है | सभी प्रस्ताव पंजीक्रत डाक से भेजे | जो फर्म ईमेल से प्रस्ताव भेजेगी उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा |

सामान्य शर्त

1. आपूर्तिकर्ता/फर्म को देश के किसी मेडिकल कॉलेज द्वारा काली सूची मे न डाला गया हो | (आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रेषित करना होगा)
2. आपूर्तिकर्ता/फर्म विगत पांच वर्षो से ऍफ़.पी.बी.ए.आई.(FPBAI) मान्यता का सजीव प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए | ऍफ़.पी.बी.ए.आई.(FPBAI) द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र कि छायाप्रति संलग्न करे|(2026, 2025, 2024, 2023 & 2022)
3. आपूर्तिकर्ता/ फर्म द्वारा का आयकर स्थायी संख्या (पैन) प्रदान किया जायेगा |
4. चिकित्सा महाविद्यालय एवं आपूर्तिकर्ता/ फर्म विक्रेता के बीच किसी विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र झाँसी होगा |

पुस्तक की आपूर्ति हेतु विक्रेता/ फर्म चयन के लिए मानदंड और शर्ते

1. एक प्रमाण पत्र देना होगा की आपकी फर्म देश/ प्रदेश के किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज / संस्थान मे कही ब्लैक लिस्टेड नहीं है | इसका शपथ पत्र 100/- स्टाम्प पर देना होगा |
2. पुस्तको जो आप संस्था में देंगे (विदेशी संस्करण), उस दिन तक जिस दिन आपने संस्था में पुस्तक की सप्लाई दी है उसका कोई भारतीय संस्करण नहीं है | अगर Accessioning होने के बाद, ऐसा पाया गया तो, आपसे उसकी वसूली/ उतने मूल्य की पुस्तक लाइब्रेरी के लिये ली जायेगी |
3. सप्लाई के दिन तक उस पुस्तक का केवल नवीनतम संस्करण ही सप्लाई की जायेगी | अगर Accessioning बाद में यह पाया गया की आपने पुराना संस्करण की सप्लाई दी है, तो आपसे नवीनतम संस्करण/ रुपये/या आपको ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है |
4. विदेशी संस्करण की पुस्तक डॉलर/पौंड या अन्य किसी भी मुद्रा में (कन्वर्जन होने) जिसमे कम हो उसमे सप्लाई दी जाये, रुपये में कन्वर्जन होने के बाद जिसके रेट कम हो उसमे सप्लाई दी जाये, अगर बाद में ऐसा पाया गया तो आपसे उतने की वसूली की जायेगी |
5. आर.बी.आई. (Reserve Bank of India) कन्वर्जन रेट से बिल बनाया जायेगा |(जिस दिन परचेस आर्डर जारी होगा, उसी दिन के आर.बी.आई. (Reserve Bank of India) कन्वर्जन रेट लागू होंगे)
6. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा विगत पांच वर्षों मे प्रतिवर्ष कम से कम रुपये तीस लाख (Rs 3000000/-) की पुस्तके देश / प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज मे अवश्य आपूर्ति की हो | इस सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता फर्म को आर्डर की सत्यापित छायाप्रति देनी होगी |
7. आपूर्तिकर्ता फर्म पिछले कम से कम 5 वर्षो का टर्नओवर रुपये तीन करोड़ (3 करोड़) से कम नहीं होना, इस सम्बन्ध में फर्म द्वारा सी.ए. (CA) द्वारा सत्यापित बैलेंस सीट दी जाये |(2025, 2024 & 2023)
8. आपकी फर्म पिछलें 5 वर्ष से GOC प्रमाण-पत्र धारक होना चाहिए | (2026, 2025, 2024, 2023 & 2022)
9. आपकी फर्म पिछलें 5 वर्ष से FPBAI की मेम्बरशिप का प्रमाण-पत्र देना होगा | (2026, 2025, 2024, 2023 & 2022)
10. पुस्तको की सप्लाई **केंद्रीय पुस्तकालय, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी** में देनी होगी | उसके लिये कोई भाड़ा अतिरिक्त नहीं दिया जायेगा |
11. सभी पुस्तको के प्राइस प्रूफ देने होंगे |
12. जो पुस्तके आर्डर में हो केवल उन्ही की सप्लाई दी जाये | Accessioning होने के बाद ऐसी पुस्तके जो आर्डर मे ना हो , वापिस करना सम्भव नहीं हो पायेगा, और नाही आपको उसका मूल्य दिया जायेगा |
13. अगर आर्डर मिलता है तो केवल वही पुस्तक सप्लाई की जाये, जो आपके पास वर्तमान में उपलब्ध हो |
14. सप्लाई के बाद ये पाया गया की भूलवश ज्यादा भुगतान हो गया है, तो उसकी आपसे वूसली की जायेगी/ या उतने ही मूल्य की पुस्तक लाइब्रेरी के लिये देनी होगी |
15. पुस्तक की सप्लाई में अगर कोई भाग/खण्ड (Voulem/Issue/part) नहीं आता है, तो उसकी कीमत आपको वापिस करनी होगी | सप्लाई के समय कोई भी किताबे कटी - फटी/ पेज मिस्सिंग निकलता है तो आपको उसे बदल कर देना होगा |
16. समस्त प्रकाशको एवं आपूर्तिकर्ता फर्मो के प्रस्ताव स्पीड पोस्ट (डाक) के माध्यम से ही लिये जायेंगे |
17. अगर आर्डर मिलता है, तब बिलों में फर्म का नाम, अकाउंट नंबर, ifsc कोड, शहर का नाम आदि स्पस्ट रूप से लिखना होगा |

(प्रधानाचार्य)
महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी |

पत्रांक सं: 7177 / के. पुस्त./पुस्तक/कुटेशन/2025-26 तददिनांक:

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय, म.ल.बा. मेडिकल कॉलेज, झाँसी |
2. FPBAI को मेल (fpbaindia@gmail.com) इस आशय से, कि वह अपने अंतर्गत आने वाली फर्मो को इस सम्बन्ध मे सूचित करे |
3. सूचना पट (कॉलेज अधिष्ठान)
4. प्र.अधि.वेबसाइट को इस आशय के साथ की उपरोक्त पत्र कॉलेज की वेबसाइट पर प्रकाशित करे |

(प्रधानाचार्य)
महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी |